कार्यालय – निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा–माध्य/मा–स/SDMC/22423/2015–17/214

समस्त संस्था प्रधान

रामावि/राउमावि

दिनांक : 14/06/17

विषय :– प्रवेशोत्सव–2017 के द्वितीय चरण में दिनांक : 24.06.2017 को आयोज्य SMC/SDMC के एजेण्डा बिन्दुओं के सम्बन्ध में ।

प्रसंग :– शासन सचिव महोदय के अर्द्ध शासकीय पत्रांक :–

1. 4(9)शिक्षा–1/2008/पार्ट, जयपुर दिनांक : 24.05.2017 एवं
2. 21(16)प्राशि/आयो./SMC/2016, जयपुर दिनांक : 26.05.2017

उपर्युक्त विषयान्तर्गत शासन के प्रासंगिक पत्रों के क्रम में लेख है कि दिनांक 19.06.2017 से ग्रीष्मावकाश उपरांत विद्यालयों में शिक्षण कार्य के पुनः प्रारंभ होने के साथ ही उक्त दिवस से ही प्रवेशोत्सव का द्वितीय चरण भी प्रारम्भ हो जाएगा । प्रत्येक विद्यालय को सत्र : 2017–18 हेतु उनके वर्तमान नामांकन तथा आदर्श नामांकन के अनुरूप नामांकन लक्ष्य पूर्व में ही दिया जा चुका है । प्रवेशोत्सव के प्रथम चरण में आप द्वारा नवीन नामांकन हेतु प्रयास किए गए होंगे, परन्तु नामांकन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये द्वितीय चरण महत्वपूर्ण एवं अंतिम अवसर है, क्योंकि परीक्षाओं के परिणाम आ गए हैं और प्रवेश से वंचित विद्यार्थियों को सत्रः 2017–18 हेतु विद्यालयों में प्रवेश लेना ही है। अतः ग्राम की आंगनबाड़ी, फीडर विद्यालयों, ग्राम में आए नवीन परिवारों/बालकों के अभिभावकों/आमजनों से यथोचित सम्पर्क के साथ–साथ राजकीय विद्यालयों में मिल रही सुविधाओं एवं इस वर्ष राजकीय विद्यालयों के उत्साहजनक बोर्ड परीक्षा परिणाम से विद्यार्थियों एवं उनके अभिभावकों को अवगत करवाते हुए स्टाफ के सहयोग से नामांकन लक्ष्य की दिशा में पहल करें।

प्रवेशोत्सव के इस द्वितीय चरण में आने वाली अमावस्या अर्थात् 24 जून–2017 को शिविरा पंचांगानुसार SMC/ SDMC की कार्यकारिणी समिति की बैठक भी आयोजित की जानी है। उक्त बैठक में विद्यालय एवं विद्यार्थियों से सम्बन्धित निम्नांकित समसामयिक एवं महत्वपूर्ण विषयों को एजेण्डा में आवश्यक रूप से सम्मिलित करते हुए विस्तृत विमर्श उपरान्त सार्थक प्रस्ताव/निर्णय करवाया जाना सुनिश्चित करें :–

क्र. सं.	एजेण्डा बिन्दु	करणीय कार्यवाही का विवरण
1	नामांकन लक्ष्य पूर्ति	विद्यालय को वर्ष : 2017–18 हेतु कक्षा वर्गवार निर्दिष्ट नामांकन लक्ष्यों के सम्बन्ध में समस्त सदस्यों को अवगत करवाएं तथा लक्ष्य प्राप्ति हेतु SMC/ SDMC का सहयोग एवं दायित्व निर्धारण करावें ।
2	SMC/ SDMC का कर मुक्त दान हेतु पात्रता के लिए आयकर अधिनियम की धारा – 80 "G" में स्वीकृति हेतु रजिस्ट्रेशन	SMC/ SDMC के रजिस्ट्रेशन बाबत् विद्यालय द्वारा अब तक की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में अवगति प्रदान करें । उक्त छूट से विद्यालय को दान स्वरूप सहयोग प्रदान करने वालों को कर छूट सम्बन्धी प्रावधान की जानकारी साझा करें एवं समस्त अभिभावकों एवं स्थानीय जनसमुदाय को भी प्रदान करते हुए विद्यालय विकास निधि में अधिकाधिक राशि संग्रह हेतु प्रेरित करें ।
3	क्लिक (CLICK) योजना की विद्यालय में क्रियान्विति	SMC/ SDMC सदस्यों को कम्प्यूटर शिक्षा की वर्तमान समय में आवश्यकता एवं RKCL-RSCIT के प्रमाण–पत्र की उपयोगिता बताते हुए SMC/ SDMC से उक्त योजना विद्यालय में प्रारम्भ करने हेतु सहमति प्राप्त करें एवं RKCL के IT-ज्ञान केन्द्र की स्थानीय एजेन्सी के साथ MOU किए जाने बाबत् प्रस्ताव पारित करने की कार्यवाही सम्पन्न कर MOU हस्ताक्षरित कराने की कार्यवाही प्रारम्भ करावें ।
4	काउड फण्डिंग (CROWD FUNDING)	विद्यालय के स्वयं के आय स्त्रोत की उपयोगिता बताते हुए काउड फण्डिंग की अवधारणा से सभी सदस्यगणों को अवगत करावें एवं सहमति की स्थिति में काउड फण्डिंग के नियमित एवं नियोजित प्रबन्धन हेतु विद्यालय में "अक्षय पेटिका" स्थापित किए जाने का प्रस्ताव पारित कर "अक्षय पेटिका" की दूसरी चाबी रखने वाले SMC/ SDMC प्रतिनिधि को नामित करवा लिया जाए ।

www.rajteachers.com

5	समीपवर्ती आंगनबाड़ी का विद्यालय में समन्वय	विद्यालय के साथ निकट की आंगनबाड़ी के समन्वय पर विमर्श किया जाए । यदि समन्वय का कार्य पूर्व में सम्पन्न हो चुका हो , तो समन्वित आंगनबाड़ी के सुचारू संचालन एवं कैचमेन्ट एरिया के 3 से 6 आयु वर्ग के समस्त बालक–बालिकाओं का आंगनबाड़ी में पूर्व प्राथमिक शिक्षा हेतु समन्वित आंगनबाड़ी में प्रवेश/नामांकन हेतु सुनिश्चित उपायों–उपागमों पर विस्तृत विचार – विमर्श किया जाए ।

उपर्युक्त विषयों के अतिरिक्त स्थानीय परिस्थितियों एवं विद्यालय की तात्कालिक आवश्यकतानुरूप अन्य मुद्दों पर भी विमर्श को एजेण्डा में सम्मिलित किए जाने पर विचार किया जा सकता है।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस.
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

प्रतिलिपि :–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर को प्रासंगिक पत्रों के कम में सूचनार्थ प्रेषित ।
2. शासन उप सचिव–प्रथम, शिक्षा (ग्रुप–I) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
4. आयुक्त, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद्, जयपुर।
5. राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, जयपुर।
6. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेब–साईट पर अपलोड करने हेतु।
7. उप निदेशक (सांख्यिकी), कार्यालय हाजा।
8. उप निदेशक (समाज शिक्षा), कार्यालय हाजा।
9. समस्त मण्डल उप निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) को मण्डल क्षेत्राधिकार में प्रभावी प्रबोधन एवं समुचित पर्यवेक्षण हेतु।
10. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)–प्रथम/द्वितीय को क्षेत्राधिकार के समस्त विद्यालयों में आदेशों की सुनिश्चित पालना हेतु।
11. स्टाफ ऑफिसर, कार्यालय हाजा।
12. समस्त अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान ।
13. रक्षित पत्रावली।

उप निदेशक (माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

www.rajteachers.com

कार्यालय का पता :– निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,बीकानेर ☎0151–2544043
Email : ad.secondary.dse@rajasthan.gov.in
E:\ma-sa\gen letter.docx